


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा

जिला - झालावाड़ (राज.)

पन्नात्याल (जगदीश) बनाम बालमुकुन्द

किस्म मुकदमा प्रपत्र नं. 200 सन् 2025

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/9/25 | समीक्षा प्रपत्र अन्तर्गत धारा-229 R.T. Act के तहत पेश हुई। प्रकरण बाद जॉच सरिस्ता दर्ज शजे० क्रिया। पत्रावली वास्ते मूल मिसल (प्रसं. 02/2025) के साथ उचित आदेशार्थ व अवलोकनार्थ दिनांक 03/10/25 को पेश हो। Y 26/9/25 | |
| 03/10/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वही प्रपत्र धारा - 229 RT Act R.W. 047 R/cpe सुनी गई। वही के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं मूलावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायिका द्वारा प्रकरण प्र 02/2025 अन्तर्गत मूलक परामर्श बनाम बालमुकुन्द गै० से जारी निर्णय दिनांक 11/9/2025 से 30 days के अन्दर यह प्रपत्र पेश है। निर्णय में typing mistake की वजह |  |

से खण्ड 1007/621 रकबा 0.1265 haat की
 पहा खण्ड 1060/621 रकबा 0.1265 haat
 अंकित या तारीफ हो गया है (mistake or error
 is apparent on the face of records.) अतः इसे
 न्यायिक से इस्तियाफा किया जाना अति-माहत्वपूर्ण
 है।

अरोक्त विवेक के माध्याम पर प्राथमिक
 का क्रम क्र 047R1 cpc with section 229 RT
 Act खीदार किया जाता है। मूल नियोक्ति की
 तिथि 11/9/2025 से Red ink से खण्ड 0
 1060/621 की पहा खण्ड 1007/621 तिथि
 को के अतिरिक्त इसी को है। प्रकरण
 के लिये शुभानु होकर नम्बर से कम होकर
 खण्डों के लिये स्पष्ट है।



[Signature]
 03/10/25

उपखण्ड अधिकारी
 पिठावा, जिला मालवाड़ (सज०)